Date - 12 March 2022

भारतीय चिकित्सा शिक्षा प्रणाली

- यूक्रेन में संकट और इसके परिणामस्वरूप मेडिकल छात्रों की निकासी, आरक्षण संबंधी मुकदमेबाजी के कारण स्नातकोत्तर परामर्श में देरी और भारत में नीट परीक्षाओं को बाहर करने के लिए तमिलनाडु राज्य द्वारा कानून बनाना शिक्षा प्रणाली ने बहुत प्रतिकूल ध्यान आकर्षित किया है।
- इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि व्यवस्था में क्या कमी है और स्थिति से निपटने के लिए क्या पर्याप्त उपाय किए जाने की जरूरत है।

भारत में चिकित्सा शिक्षा की समस्याएं

- मांग–आपूर्ति असंतुलन: जनसंख्या मानकों के संबंध में एक गंभीर समस्या मांग-आपूर्ति असंतुलन है। निजी कॉलेजों में इन सीटों की लागत 15-30 लाख रुपये प्रति वर्ष (छात्रावास खर्च और अध्ययन सामग्री शामिल नहीं) के बीच है।
- यह राशि अधिकांश भारतीयों की क्षमता से अधिक है। गुणवत्ता पर टिप्पणी करना मुश्किल है क्योंकि कोई निश्चित मानदंड नहीं है। हालांकि निजी-सार्वजनिक विभाजन के बावजूद अधिकांश मेडिकल कॉलेजों में यह अत्यधिक परिवर्तनशील और प्रतिकूल है।
- कुशल संकाय/संकाय का मुद्दा: नए मेडिकल कॉलेज खोलने की सरकार की पहल संकाय/संकाय की कमी से गंभीर रूप से प्रभावित है। निचले स्तर को छोड़कर, जहां नए प्रवेशकर्ता आते हैं, मौजूदा मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों की भर्ती अन्य सभी स्तरों पर नए कॉलेजों द्वारा की जाती है। शैक्षणिक गुणवत्ता एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है।
- भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) ने अतीत में पूर्व संकाय और भ्रष्टाचार की कई खामियों को दूर करने की कोशिश की। इसने संकाय की अकादमिक कठोरता में सुधार के लिए पदोन्नति के लिए आवश्यक 'प्रकाशन' की शुरुआत की है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप संदिग्ध गुणवत्ता वाली पत्रिकाओं की भरमार हो गई है।
- कम डॉक्टर-रोगी अनुपात: भारत में प्रति 11,528 लोगों पर एक सरकारी डॉक्टर और प्रति 483 लोगों पर एक नर्स है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित 1:1000 से बहुत कम है।
- पुरानी पाठ्यचर्या और शिक्षण शैली: चिकित्सा क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, लेकिन भारत में चिकित्सा अध्ययन पाठ्यक्रम को तदनुसार अद्यतन नहीं किया जाता है।
- सामाजिक जवाबदेही का अभाव: भारतीय चिकित्सा छात्रों को ऐसा प्रशिक्षण नहीं मिलता है जो उन्हें स्वास्थ्य व्यवसायियों के रूप में सामाजिक जवाबदेही प्रदान करता हो।

Yojna IAS

- निजी मेडिकल कॉलेजों के साथ समस्याएं: 1990 के दशक में कानून में बदलाव ने निजी स्कूल खोलना आसान बना दिया, और देश में कई चिकित्सा संस्थानों का उदय हुआ, जिन्हें व्यवसायियों और राजनेताओं द्वारा वित्तपोषित किया गया था, जिन्हें मेडिकल स्कूल चलाने का कोई अनुभव नहीं था। इसने चिकित्सा शिक्षा का काफी हद तक व्यवसायीकरण कर दिया।
- चिकित्सा शिक्षा में भ्रष्टाचार: फर्जी डिग्री, रिश्वत और दान, प्रॉक्सी फैकल्टी आदि जैसे कपटपूर्ण व्यवहार और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में एक बड़ी समस्या है।

सुधार:

- मेडिकल स्कूल स्थापित करने और सीटों की सही संख्या की अनुमति देने के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों पर फिर से विचार करने की सख्त जरूरत है।
- अभ्यास करने वालों को शिक्षण विशेषाधिकार देना और ई-लर्निंग टूल की अनुमति देना पूरे सिस्टम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की खाई को पाट देगा। साथ ही, ये सुधार शिक्षण की गुणवत्ता से समझौता किए बिना मौजूदा मेडिकल सीटों को दोगुना कर सकते हैं।
- परिवर्तन की तीव्र गति को बनाए रखने के लिए सतत शिक्षण प्रणालियों के आधार पर आवधिक पुन: प्रमाणन आवश्यक हो सकता है।
- छात्रों को अपने बुनियादी प्रबंधन, संचार और नेतृत्व कौशल में सुधार करने की आवश्यकता है।
- डॉक्टरों के रूप में उनकी सामाजिक प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।
- कक्षा में विषयों के एकीकरण, नई शिक्षण विधियों के उपयोग और अधिक प्रचलित प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है।
- महाविद्यालयों में चिकित्सा अनुसंधान और नैदानिक कौशल पर काम करने की आवश्यकता है।

उठाए जाने वाले कदम

- सीटों में वृद्धि: कई संस्थानों ने निजी-सार्वजनिक भागीदारी मॉडल का उपयोग करते हुए जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों में परिवर्तित करके सीटों को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। नीति आयोग इस दिशा में आगे बढ़ रहा है।
- हालांकि, सरकार को इन विचारों को लागू करने से पहले एक कार्यात्मक नियामक ढांचे और एक उचित सार्वजनिक-निजी मॉडल को मजबूत करने की जरूरत है जो निजी क्षेत्र के साथ-साथ देश की जरूरतों को पूरा करता है।
- हम मुख्य रूप से राजनीतिक-निजी क्षेत्र के गठजोड़ के कारण बुरी तरह विफल रहे हैं।
- कॉलेज फीस को नियंत्रित करना: नेशनल मेडिकल काउंसिल (एनएमसी) द्वारा कॉलेज फीस को विनियमित करने के हालिया प्रयासों का मेडिकल कॉलेजों द्वारा विरोध किया जा रहा है। सरकार को निजी क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा पर सब्सिडी देने या वंचित छात्रों के लिए चिकित्सा शिक्षा के वित्तपोषण के वैकल्पिक तरीकों पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए।
- नियमित गुणवत्ता मूल्यांकन: मेडिकल कॉलेजों का गुणवत्ता मूल्यांकन नियमित रूप से किया जाना चाहिए, रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। एनएमसी गुणवत्ता नियंत्रण उपाय के रूप में सभी मेडिकल स्नातकों के लिए एक सामान्य परीक्षा आयोजित कर रहा है।
- व्यावसायिक स्वास्थ्य शिक्षा में परिवर्तन: आज की चिकित्सा शिक्षा को ऐसे पेशेवर तैयार करने में सक्षम होना चाहिए जो 21वीं सदी की चिकित्सा प्रणाली के अनुरूप हों।

Yojna IAS

- द लैंसेट रिपोर्ट 'हेल्थ प्रोफेशनल्स फॉर ए न्यू सेंचुरी: ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ एजुकेशन टू स्ट्रॉन्गर हेल्थ सिस्टम्स इन ए इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड' (2010) स्वास्थ्य पेशेवर या व्यावसायिक शिक्षा में बदलाव के लिए प्रमुख सिफारिशों की रूपरेखा तैयार करती है जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है।
- चिकित्सा पेशेवरों के मानकों को बढ़ाने के अलावा, जीवन शैली और जीवन भर की बीमारियों के साथ उम्र बढ़ने वाली आबादी की सेवा करने के लिए स्वास्थ्य पेशेवरों की बढ़ती कमी को पूरा करने के लिए प्रणाली को बदलने की आवश्यकता है।

'राष्ट्रीय राजनीतिक दल' के लिए पात्रता

- हाल ही में हुए चुनावों में आम आदमी पार्टी (आप) भाजपा के अलावा एकमात्र प्रमुख विजेता बनकर उभरी है। रुझानों के अनुसार, पार्टी 91 सीटों की बढ़त के साथ पंजाब में सरकार बनाने के लिए तैयार है, और गोवा में दो सीटों के साथ अपना खाता खोलने के लिए तैयार है, जिसमें 6% वोट शेयर शामिल है।

क्या 'आम आदमी पार्टी' राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा कर सकती है?

- अभी नहीं।
- एक पार्टी को 'राष्ट्रीय पार्टी' के रूप में पहचाने जाने के लिए तीन निर्धारित मानदंडों में से एक को पूरा करने की आवश्यकता होती है – और वर्तमान में आप उनमें से किसी को भी पूरा नहीं करती है।

राजनीतिक दलों का पंजीकरण:

- राजनीतिक दलों का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के प्रावधानों के तहत किया जाता है।
- एक राजनीतिक दल को निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार, अपनी स्थापना को पंजीकृत करने के लिए 30 दिनों के भीतर भारत के चुनाव आयोग को संबंधित धारा के तहत एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग दिशा-निर्देश जारी करता है|

भारत के 'राष्ट्रीय राजनीतिक दल' के लिए पात्रता:

- लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दल ने कुल लोकसभा सीटों में से 2 प्रतिशत (543 सदस्यों में से 11) जीते हैं और ये सदस्य कम से कम तीन अलग-अलग राज्यों से चुने गए हैं।
- चार या अधिक राज्यों में हुए आम चुनावों या विधानसभा चुनावों में डाले गए वैध मतों का कम से कम छह प्रतिशत हासिल करना अनिवार्य है।
- चार या अधिक राज्यों में 'राज्य पार्टी' के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इसके अलावा इसके लिए किसी भी राज्य या राज्य से लोकसभा की कम से कम चार सीटें जीतनी चाहिए।

Yojna IAS

‘राज्य स्तरीय राजनीतिक दल‘ के लिए पात्रता:

- किसी राजनीतिक दल को ‘राज्य स्तरीय राजनीतिक दल’ के रूप में मान्यता देने के लिए, राज्य में लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में डाले गए कुल वैध मतों का न्यूनतम छह प्रतिशत हासिल करना आवश्यक है।
- इसके अलावा, इसके लिए संबंधित राज्य की विधानसभा में कम से कम दो सीटें जीतनी चाहिए।
- एक राजनीतिक दल के लिए, उसे राज्य विधान सभा के चुनावों में कुल सीटों का 3 प्रतिशत या 3 सीटें, जो भी अधिक हो, हासिल करना चाहिए था।
- राज्य विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव के दौरान 25 लोकसभा सीटों में से प्रत्येक से एक सांसद या किसी राजनीतिक दल द्वारा राज्य में डाले गए कुल मतों का आठ प्रतिशत।

लाभ:

- ‘राज्य स्तरीय राजनीतिक दल’ के रूप में मान्यता प्राप्त एक पंजीकृत दल को संबंधित राज्य में अपने उम्मीदवारों को पार्टी के लिए एक आरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित करने का विशेषाधिकार प्राप्त है।
- ‘राष्ट्रीय राजनीतिक दल’ के रूप में मान्यता प्राप्त एक पंजीकृत दल को पूरे भारत में अपने उम्मीदवारों को पार्टी के लिए सुरक्षित चुनाव चिह्न आवंटित करने का विशेषाधिकार प्राप्त है।
- मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य स्तर के राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को अपना नामांकन पत्र दाखिल करते समय केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, उन्हें मतदाता सूची के पुनरीक्षण के समय निर्वाचक नामावली के दो सेट नि:शुल्क प्राप्त करने का भी अधिकार है और आम चुनाव के दौरान उनके उम्मीदवारों को निर्वाचक नामावली का एक सेट नि:शुल्क प्रदान किया जाता है।
- इनके लिए आम चुनाव के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारण की सुविधा प्रदान की जाती है।
- मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए आम चुनाव के दौरान स्टार प्रचारकों के यात्रा खर्च को उस उम्मीदवार या पार्टी के खर्च में नहीं जोड़ा जाता है।

Yojna IAS

हेग कन्वेंशन 1954: ब्लू शील्ड

- हाल ही में ‘संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन’ (यूनेस्को) ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के आलोक में यूक्रेन की लुप्तप्राय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए सुरक्षात्मक उपायों पर जोर दिया है।
- आकस्मिक क्षति से बचने के लिए, एजेंसी यूक्रेन में सांस्कृतिक संपत्ति जैसे सांस्कृतिक स्थलों और स्मारकों को सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में 1954 हेग कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन के विशिष्ट ‘ब्लू शील्ड’ प्रतीक के साथ चिह्नित कर रही है।

1954 का हेग कन्वेंशन

- पृष्ठभूमि: इतिहास के संदर्भ में, सशस्त्र संघर्षों ने हमेशा लोगों के जीवन पर कहर बरपाया है। मानव हताहतों के अलावा, सशस्त्र संघर्षों ने सांस्कृतिक विरासत के बड़े पैमाने पर विनाश, समुदायों की नींव को कमजोर करने और स्थायी शांति और सुलह की संभावना को जन्म दिया है।
- उत्पत्ति: 1954 में यूनेस्को ने यह देखते हुए कि सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा दुनिया के सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसने सार्वभौमिक सुरक्षा की आवश्यकता पर बल दिया है, सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण के लिए कन्वेंशन को किसके तत्वावधान में अपनाया गया था
- इस सम्मेलन को 1954 के हेग कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है।
- यह पहली और सबसे व्यापक बहुपक्षीय संधि है जो विशेष रूप से शांति के समय के साथ-साथ सशस्त्र संघर्ष के दौरान सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए समर्पित है।
- उद्देश्य: सम्मेलन का उद्देश्य वास्तुकला, कला या ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों, कला के कार्यों, पांडुलिपियों, पुस्तकों और कलात्मक, ऐतिहासिक या पुरातात्विक रुचि की अन्य वस्तुओं सहित सांस्कृतिक संपत्ति की रक्षा करना है|
- भारत हेग कन्वेंशन, 1954 का एक पक्ष है।

ब्लू शील्ड प्रतीक:

- आवश्यकता: हेग कन्वेंशन, 1954 के अनुच्छेद 6 के अनुसार, सांस्कृतिक संपत्ति की मान्यता को सुविधाजनक बनाने के लिए एक विशिष्ट प्रतीक हो सकता है।
- उत्पत्ति: ब्लू शील्ड पूर्व में 1996 में ब्लू शील्ड की अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा स्थापित की गई थी।
- ब्लू शील्ड के बारे में: यह एक गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी, अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर की विरासतों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।
- ब्लू शील्ड नेटवर्क को अक्सर रेड क्रॉस के सांस्कृतिक समकक्ष के रूप में संदर्भित किया जाता है।

Yojna IAS

- कार्य: ब्लू शील्ड दुनिया की सांस्कृतिक विरासत को सशस्त्र संघर्ष और प्राकृतिक आपदाओं जैसे खतरों से बचाने के लिए प्रतिबद्ध समर्पित व्यक्तियों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है।
- इसमें संग्रहालय, स्मारक, पुरातात्विक स्थल, अभिलेखागार, पुस्तकालय, दृश्य-श्रव्य सामग्री और महत्वपूर्ण प्राकृतिक क्षेत्रों के साथ-साथ अमूर्त विरासत शामिल हैं।
- संबंधित मुद्दा: कुछ राज्यों ने अपनी सांस्कृतिक संपत्ति को चिह्नित करने से इनकार कर दिया है, यह तर्क देते हुए कि अगर उस संपत्ति को राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक के रूप में चिह्नित किया जाता है तो यह दुश्मन के हमलों के लिए अधिक संवेदनशील होगा।
- दुर्भाग्य से यह पूर्व यूगोस्लाविया में युद्ध के दौरान साबित हुआ है जहां ब्लू शील्ड के रूप में चिह्नित सांस्कृतिक संपत्तियों को जानबूझकर लक्षित किया गया था।

यूनेस्को:

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Yojna IAS

- यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करना चाहती है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है।
- इसके 193 सदस्य देश और 11 सहयोगी सदस्य हैं। भारत वर्ष 1946 में यूनेस्को में शामिल हुआ।
- वर्ष 2019 में, संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल ने औपचारिक रूप से यूनेस्को को छोड़ दिया।

Swadeep Kumar

Yojna IAS